

पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1978



(1978 का अधिनियम संख्यांक 16)

[30 अप्रैल, 1978]

पब्लिक सेक्टर में लोहा और इस्पात कम्पनियों का बेहतर प्रबन्ध और उनके काम-काज
में अधिक दक्षता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उनकी पुनर्संरचना करने
का तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक
विषयों का उपबन्ध
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पब्लिक सेक्टर लोहा और इस्पात कम्पनी (पुनर्संरचना) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1978 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) “नियत दिन” से वह दिन अभिप्रेत है जिसको यह अधिनियम प्रवृत्त होता है ;

(ख) “कम्पनी अधिनियम” से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) अभिप्रेत है ;

(ग) “तत्स्थानी यूनिट” से—

(i) इन्टिग्रल कम्पनी के सम्बन्ध में इन्टिग्रल कम्पनी की वह यूनिट अभिप्रेत है जो विघटित कम्पनी या अन्तरित कम्पनी की उस यूनिट की तत्स्थानी है जिसमें सम्बन्धित अधिकारी या अन्य कर्मचारी उक्त यूनिट के अन्तरण के पूर्व पद धारण कर रहा था ;

(ii) अन्तरिती कम्पनी के सम्बन्ध में, अन्तरिती कम्पनी की वह यूनिट अभिप्रेत है जो विघटित कम्पनी की उस यूनिट की तत्स्थानी है जिसमें सम्बन्धित अधिकारी या अन्य कर्मचारी उक्त यूनिट के अन्तरण के पूर्व, पद धारण कर रहा था ;

(घ) “विघटित कम्पनी” से प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कम्पनी अभिप्रेत है ;

(ङ) “इन्टिग्रल कम्पनी” से स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय नई दिल्ली में है ;

(च) “अन्तरिती कम्पनी” से वह कम्पनी अभिप्रेत है जिसको, यथास्थिति, किसी विघटित कम्पनी के या किसी अन्तरित यूनिट के उपक्रम इस अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर, अन्तरित हो गए हैं ;

(छ) “अन्तरित कम्पनी” से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में है ;

(ii) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आन्ध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद में है ;

(iii) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता में है ;

(iv) भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में बोकारो स्टील सिटी में है ;

(v) इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इंसुलेशन कम्पनी लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई में है ;

(ज) “अन्तरित यूनिट” से निम्नलिखित अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(i) किरिबुरू आयरन ओर माइन्स, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट है ; या

(ii) मेघातुबुरू आयरन ओर प्रोजेक्ट, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट है ;

(iii) रामगढ़ रिफ्रेक्ट्री प्लांट, जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की एक यूनिट है (जो बिहार राज्य में रामगढ़ के निकट स्थित है) ;

(iv) रिफ्रेक्ट्री प्रोजेक्ट, जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की एक यूनिट है (जो मध्य प्रदेश राज्य में भिलाई में स्थित है) ; या

(v) सिलिमेनाइट माइन्स, जो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की एक यूनिट है (जो मेघालय राज्य में स्थित है) ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कम्पनी अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

3. “उपक्रम” का अभिप्राय—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी विघटित कम्पनी या किसी अन्तरित यूनिट के उपक्रम के बारे में यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत सभी आस्तियां, अधिकार, पट्टाश्रुतियां (जिनके अन्तर्गत खनन पट्टे, यदि कोई हों, भी हैं), औद्योगिक या अन्य अनुज्ञप्तियां, शक्तियां, प्राधिकार और विशेषाधिकार, और सभी जंगम और स्थावर सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत भूमि या भवन, संकर्म, खानें, कर्मशालाएं, परियोजनाएं, प्रगालक, स्टोर, उपकरण, मशीनरी, मोटर गाड़ियां और अन्य यान, नकद या बैंक अतिशेष, हाथ की रोकड़, विनिधान और बही ऋण और ऐसी सम्पत्ति में या उससे उत्पन्न होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित हैं, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, यथास्थिति, विघटित कम्पनी या अन्तरित यूनिट के स्वामित्व, कब्जे, शक्ति या नियंत्रण में थे (चाहे भारत में या उसके बाहर) भी हैं और तत्सम्बन्धी सभी लेखा बहियां, रजिस्टर, मानचित्र, रेखाचित्र, सर्वेक्षण अभिलेख और अन्य सभी प्रकार की दस्तावेजें हैं और विघटित कम्पनी या अन्तरित यूनिट के सभी उधार, दायित्व और बाध्यताएं भी इनके अन्तर्गत समझी जाएंगी, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, अन्तरित यूनिट के किसी उपक्रम के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस कम्पनी के, जिसका कि वह यूनिट है, उपक्रम के उतने भाग के प्रति जो उससे संबंधित है, निर्देश है मानो वह एक पृथक् कम्पनी हो ।

अध्याय 2

कुछ कम्पनियों के उपक्रमों का विघटन, अन्तरण और निहित होना

4. कुछ कम्पनियों के उपक्रमों का विघटन और इन्टिग्रल कम्पनी को उनका अन्तरण तथा उसमें उनका निहित होना—नियत दिन को, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कम्पनियां विघटित हो जाएंगी और धारा 6 और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसी कम्पनियों के सभी उपक्रम इन्टिग्रल कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे ।

5. किरिबुरू आयरन ओर माइन्स आदि का इन्टिग्रल कम्पनी को अन्तरण और उसमें उनका निहित होना—नियत दिन को, निम्नलिखित अन्तरित यूनिटों के उपक्रम, इन्टिग्रल कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे, अर्थात् :—

(क) किरिबुरू आयरन ओर माइन्स, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट है, और

(ख) मेघातुबुरू आयरन ओर प्रोजेक्ट, जो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की एक यूनिट है ।

6. रिफ्रेक्ट्री प्लांट आदि का अन्तरण और भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड में उसका निहित होना—(1) नियत दिन को, निम्नलिखित अन्तरित यूनिटों के उपक्रम भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे, अर्थात् :—

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का रामगढ़ रिफ्रेक्ट्री प्लांट (जो बिहार राज्य में रामगढ़ के निकट स्थित है),

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का सिलिमेनाइट माइन्स (जो मेघालय राज्य में स्थित है), और

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का रिफ्रेक्ट्री प्रोजेक्ट (जो मध्य प्रदेश राज्य में भिलाई में स्थित है) ।

(2) कम्पनी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, नियत दिन से ही भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बोकारो स्टील सिटी में बना रह सकेगा या उसका स्थानान्तरण रांची को किया जा सकेगा ।

7. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की स्थावर सम्पत्तियों का मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को अन्तरण—नियत दिन को, बिहार राज्य के रांची जिले में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के स्वामित्वाधीन स्थावर सम्पत्तियों में उसके अधिकार, हक और हित तत्सम्बन्धी दायित्वों और बाध्यताओं के साथ, मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

अध्याय 3

शेयरों का अन्तरण

8. बोकारों स्टील लिमिटेड द्वारा धारित शेयरों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण—नियत दिन को, भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड की शेयर पूंजी में बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा धारित सभी शेयर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

9. इन्टिग्रल कम्पनी द्वारा धारित शेयरों का केन्द्रीय सरकार को अन्तरण—नियत दिन को, द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कम्पनी की शेयर पूंजी में इन्टिग्रल कम्पनी द्वारा धारित सभी शेयर, केन्द्रीय सरकार को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

10. इन्टिग्रल कम्पनी द्वारा धारित शेयरों का भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड को अन्तरण—नियत दिन को, इंडिया फायरब्रिक्स एण्ड इंसुलेशन कम्पनी लिमिटेड की (जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में मुम्बई में है) शेयर पूंजी में इन्टिग्रल कम्पनी द्वारा धारित सभी शेयर, भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

11. केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित शेयरों का इन्टिग्रल कम्पनी को अन्तरण—नियत दिन को, इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड की (जो कम्पनी अधिनियम के अधीन एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता में है) शेयर पूंजी में केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित सभी शेयर इन्टिग्रल कम्पनी को अन्तरित और उसमें निहित हो जाएंगे।

12. कम्पनियों के सदस्यों के रजिस्टर में केन्द्रीय सरकार आदि का रजिस्ट्रीकृत समझा जाना—नियत दिन से ही, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड या इन्टिग्रल कम्पनी को सम्बन्धित कम्पनियों के सदस्यों के रजिस्टर में ऐसे प्रत्येक शेयर के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा जो, यथास्थिति, धारा 8, धारा 9, धारा 10 या धारा 11 के उपबन्धों के आधार पर उनमें से प्रत्येक को अन्तरित और उसमें निहित हो गया है।

13. इन्टिग्रल कम्पनी आदि की समादत्त शेयर पूंजी की रकम में उपान्तरण और शेयर निर्गमित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, उतनी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगी जितनी इन्टिग्रल कम्पनी, भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड, मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की समादत्त शेयर पूंजी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन, यथास्थिति, शेयरों, उपक्रमों या स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के परिणामस्वरूप, कम या अधिक हो जाएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन रकम विनिर्दिष्ट करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात् :—

- (i) सम्बन्धित कम्पनी के, यथास्थिति, धारा 8, 9, 10 या 11 में निर्दिष्ट ऐसे शेयरों का नियत दिन को बही मूल्य,
- (ii) विघटित कम्पनी और अन्तरित यूनिट के ऐसे उपक्रमों का नियत दिन को शुद्ध मूल्य, और
- (iii) धारा 7 में निर्दिष्ट हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के स्वामित्वाधीन ऐसी स्थावर सम्पत्तियों का नियत दिन को बही मूल्य,

जिनका उपधारा (1) में निर्दिष्ट कम्पनियों को या उनसे अन्तरण किया गया है।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया जाने वाला प्रत्येक आदेश, नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा और ऐसा कोई आदेश भूतलक्षी या भविष्यलक्षी रूप में प्रभावी हो सकेगा किन्तु नियत दिन से पूर्व की किसी तारीख से प्रभावी नहीं हो सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश के अन्तर्गत उचित संख्या में शेयरों के निर्गमन या रद्द किए जाने का निदेश भी हो सकेगा जिससे कि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी किया जा सके।

अध्याय 4

अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध

14. विघटित कम्पनियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध—(1) किसी विघटित कम्पनी के किसी उपक्रम के सम्बन्ध में नियत दिन से ठीक पूर्व ऐसी कम्पनी में पद धारण करने वाला प्रत्येक अधिकारी (निदेशक से भिन्न) या अन्य कर्मचारी, जो धारा 6 में निर्दिष्ट अन्तरित यूनिटों के सम्बन्ध में ऐसे पद धारण करने वाले अधिकारी या अन्य कर्मचारी से भिन्न है, नियत दिन से ही, इन्टिग्रल कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट में वैसी ही सेवा और सेवा-धृति पर और सेवा के वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर तथा सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी प्रसुविधाओं के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ वैसे ही पद धारण किए रहेगा जो उसे

उस दशा में अनुज्ञेय होते यदि वह कम्पनी, जिसमें वह पद धारण कर रहा था, विघटित न हुई होती और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि इन्टिग्रल कम्पनी द्वारा ऐसी सेवा-धृति और निबन्धन तथा शर्तें सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।



(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियम और उन्हें लागू स्थायी आदेश, जैसे कि वे नियत दिन के ठीक पूर्व थे, तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि वे, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिए जाते।

15. अंतरित यूनिटों के अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में उपबन्ध—(1) प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, जो नियत दिन से ठीक पूर्व, अंतरित यूनिट में पद धारण कर रहा था, नियत दिन से ही अंतरित कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट का अधिकारी या अन्य कर्मचारी हो जाएगा, और उसमें अपना पद वैसी ही सेवा-धृति पर और सेवा के वैसे ही निबन्धनों और शर्तों पर तथा सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी प्रसुविधाओं के बारे में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ धारण किए रहेगा जो उसे उस दशा में अनुज्ञेय होते यदि वह अंतरित यूनिट जिसमें वह पद धारण कर रहा था, अंतरित न हुआ होता और वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक ऐसी सेवा-धृति और निबन्धन और शर्तें अंतरित कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जातीं।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के बारे में नियम और स्थायी आदेश, जो उन्हें नियत दिन के ठीक पूर्व लागू थे, तब तक लागू होते रहेंगे जब तक कि वे, यथास्थिति, अंतरित कम्पनी या अन्य प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिए जाते।

16. निदेशकों के बारे में उपबन्ध—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व, किसी विघटित कम्पनी के निदेशक के रूप में पद धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उस दिन से ऐसे निदेशक के रूप में पद पर नहीं रह जाएगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो नियत दिन के ठीक पूर्व किसी विघटित कम्पनी के पूर्णकालिक नियोजन में निदेशक है, इन्टिग्रल कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट का ऐसे पदनाम से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, कर्मचारी बना रहेगा जो इन्टिग्रल कम्पनी अवधारित करे।

17. लेखापरीक्षकों के बारे में उपबन्ध—किसी विघटित कम्पनी या अंतरित कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में, कम्पनी अधिनियम की धारा 619 के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पद धारण कर रहा था, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी के या किसी अन्य अंतरित कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट में ऐसे लेखापरीक्षक के रूप में पद, उतनी अवधि तक जिसके लिए वह ऐसे नियुक्त किया गया था तथा उन्हीं निबन्धनों और शर्तों पर, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उसे लागू थीं, धारण किए रह सकेगा।

18. अन्तरण के लिए प्रतिकर संदेय नहीं है—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की सेवाओं का अन्तरण, ऐसे अधिकारी या अन्य कर्मचारी को उस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा, और कोई न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण ऐसे प्रतिकर के लिए कोई दावा ग्रहण नहीं करेगा।

19. भविष्य-निधि—जहां अन्तरित यूनिट के संबंध में कर्मचारियों के हित के लिए विघटित कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी द्वारा भविष्य-निधि की स्थापना की गई है और वह किसी न्यास में निहित हो गई है, वहां प्रत्येक भविष्य-निधि में जमा धनराशियां और अन्य आस्तियां, उन्हीं उद्देश्यों सहित न्यास में धारित बनी रहेंगी जो नियत दिन से पूर्व लागू थे और नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे न्यासों के न्यासी, न्यास विलेखों और ऐसे न्यासों से संबंधित नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी के या अन्य अन्तरित कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट की ऐसी भविष्य-निधि के संबंध में न्यासियों के रूप में उसी प्रकार कार्य करते रहेंगे, मानो वह अधिनियम पारित ही न किया गया हो :

परन्तु न्यासियों को नामनिर्देशित करने का अधिकार और अन्तरित यूनिट के संबंध में, यथास्थिति, विघटित कम्पनी या अन्य कम्पनी में निहित न्यासों से संबंधित अन्य अधिकार, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अंतरित कम्पनी में निहित होंगे।

20. उपदान-निधि, कल्याण-निधि और अन्य निधियां—जहां किसी अन्तरित यूनिट के संबंध में किसी विघटित कम्पनी या किसी अन्य कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए किसी उपदान-निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि की स्थापना की है और वह निधि नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान है वहां ऐसे उपदान-निधि, कल्याण निधि या अन्य निधि में जमा या उससे सम्बद्ध सभी धनराशियां और अन्य आस्तियां, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरित कम्पनी के तत्स्थानी यूनिट में निहित हो जाएंगी।

अध्याय 5

वित्तीय उपबन्ध

21. आय-कर और अतिकर के बारे में उपबन्ध—(1) इन्टिग्रल कम्पनी आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसी कोई धनराशि जो विघटित कम्पनी उस दशा में संदत्त करने के दायित्वाधीन होती जब उसका विघटन न हुआ होता, उसी रीति से और उसी विस्तार तक संदत्त करने के दायित्वाधीन होगी जिस रीति से और जिस विस्तार तक विघटित कम्पनी दायित्वाधीन है।

(2) किसी विघटित कम्पनी की, यथास्थिति, आय या प्रभार्य लाभों के निर्धारण के प्रयोजन के लिए और उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार कोई धनराशि उद्गृहीत करने के प्रयोजन के लिए—

(क) नियत दिन के पूर्व किसी विघटित कम्पनी के विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इन्टिग्रल कम्पनी के विरुद्ध की गई है और वह इन्टिग्रल कम्पनी के विरुद्ध उस प्रक्रम से, जिस पर वह नियत दिन के ठीक पूर्व थी, चालू रखी जा सकेगी ;

(ख) कोई कार्यवाही, जो किसी विघटित कम्पनी के विरुद्ध तब की जा सकती थी जब उसका विघटन न हुआ होता, इन्टिग्रल कम्पनी के विरुद्ध की जा सकेगी ; और

(ग) यथास्थिति, आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम के सभी उपबन्ध तदनुसार लागू होंगे ।

(3) किसी विघटित कम्पनी के पूर्ववर्ष की, जिसमें विघटन हुआ था, नियत दिन तक की, यथास्थिति, आय या प्रभार्य लाभों का निर्धारण ऐसे किया जाएगा मानो ऐसा विघटन हुआ ही नहीं था और आय-कर अधिनियम और कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम के उपबन्ध यावत्शक्य, तदनुसार लागू होंगे ।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन इन्टिग्रल कम्पनी में किसी विघटित कम्पनी का उपक्रम अन्तरित होने और उसमें उसके निहित होने के बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी कम्पनियों के संबंध में समामेलन है और आय-कर अधिनियम के उपबन्ध, यावत्शक्य, तदनुसार ऐसे लागू होंगे मानो उक्त अधिनियम में समामेलक कम्पनी और समामेलित कम्पनी के प्रति निर्देश क्रमशः विघटित कम्पनी और इन्टिग्रल कम्पनी के प्रति निर्देश हों ।

(5) जहां, यथास्थिति, अन्तरित यूनिट या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के किसी उपक्रम की भागरूप कोई पूंजी आस्ति, धारा 5 या धारा 6 या धारा 7 के अनुसरण में, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड या मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड को अन्तरित या उसमें निहित हो गई है वहां ऐसी पूंजी आस्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि वह समामेलन स्कीम के अधीन अन्तरित हो गई है और आय-कर अधिनियम के उपबन्ध यावत्शक्य, तदनुसार ऐसे लागू होंगे मानो उक्त अधिनियम में समामेलक कम्पनी के प्रति निर्देश, यथास्थिति, अन्तरित यूनिट या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रति निर्देश हो और समामेलित कम्पनी के प्रति निर्देश, जो एक भारतीय कम्पनी है, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड या मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के प्रति निर्देश हों ।

(6) किसी विघटित कम्पनी की संचित हानि और अनामेलित अवक्षयण के, यदि कोई हो, बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें विघटित कम्पनी का उपक्रम इन्टिग्रल कम्पनी में निहित था, इन्टिग्रल कम्पनी की, यथास्थिति, हानि या अवक्षयण मोक है और आय-कर अधिनियम के वे उपबन्ध जो हानि और अवक्षयण मोक के मुजरा और अग्रनयन से संबंधित हैं, तदनुसार लागू होंगे ।

(7) उपधारा (1) से उपधारा (6) तक के उपबन्ध, आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “आय-कर अधिनियम” से आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है ;

(ख) “कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम” से कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) अभिप्रेत है ;

(ग) उन शब्दों और पदों के जो इस धारा में प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं किन्तु आय-कर अधिनियम या कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उक्त अधिनियमों में हैं ।

22. असंदेय कर, फीस और अन्य प्रभार—शंकाओं को दूर करने के लिए, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन शेयरों के किसी अन्तरण अथवा किन्हीं उपक्रमों के या किसी स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण के लिए कोई कर, शुल्क, फीस या अन्य प्रभार, चाहे वे किसी प्रकार के हों (जिनके अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रभार भी हैं), संदेय नहीं होंगे ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

23. संविदाओं आदि की व्यावृत्ति—(1) ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बन्धपत्र, करार तथा अन्य लिखतें चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जिनमें विघटित कम्पनी एक पक्षकार है और जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावशील हैं, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी के विरुद्ध या पक्ष में उस दिन से ही पूर्णतः बलशील और प्रभावशील होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो विघटित कम्पनी के बजाय इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी उसकी एक पक्षकार थी ।

(2) ऐसी सभी संविदाएं, विलेख, बन्धपत्र, करार और अन्य लिखतें, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, जिनमें वह कम्पनी किसी अन्तरित यूनिट के सम्बन्ध में एक पक्षकार है, और जहां तक कि उनका सम्बन्ध अन्तरित यूनिट के उपक्रमों से सम्बन्धित विषयों से है और जो नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान या प्रभावशील हैं उस दिन से ही, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी के विरुद्ध या उसके पक्ष में पूर्णतः बलशील और प्रभावशील होंगी और उन्हें वैसे ही पूर्ण और प्रभावी रूप में प्रवृत्त किया जा सकेगा मानो ऐसी कम्पनी के बजाय इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी उसकी एक पक्षकार थी ।

24. विधिक कार्यवाहियों की व्यावृत्ति—यदि किसी विघटित कम्पनी के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद, माध्यस्थम्, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, नियत दिन को, लम्बित है तो विघटित कम्पनी के उपक्रमों का, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या किसी अन्य अन्तरिती कम्पनी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अन्तरण हो जाने के कारण अथवा इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के कारण, उसका उपशमन नहीं होगा, वह बंद नहीं होगी या किसी भी प्रकार उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह वाद, माध्यस्थम्, अपील या अन्य विधिक कार्यवाही, यथास्थिति, इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक चालू रखी जा सकेगी, संचालित और प्रवर्तित की जा सकेगी जिस रीति से और जिस सीमा तक वह, इस अधिनियम के पारित न होने की दशा में उस विघटित कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जाती, संचालित और प्रवर्तित की जाती या चालू रखी जा सकती थी, संचालित और प्रवर्तित की जा सकती थी।

25. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

26. अधिनियम का अन्य विधियों के उपबन्धों पर अध्यारोही प्रभाव—इस अधिनियम या इसके अधीन किए गए किसी आदेश के उपबन्ध, कम्पनी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा में या इस अधिनियम से भिन्न किसी अन्य विधि के आधार पर प्रभावी किन्हीं नियमों या विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

27. संगम-ज्ञापन और संगम-अनुच्छेदों के संशोधन की शक्ति—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेद में या दोनों में, संशोधन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में इन्टिग्रल कम्पनी या अन्य अन्तरिती कम्पनी के संगम-ज्ञापन या संगम-अनुच्छेदों में किए गए कोई संशोधन, कम्पनी अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

प्रथम अनुसूची

[धारा 2(1) (घ) और धारा 4 देखिए]

1. भिलाई इस्पात लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय मध्य प्रदेश राज्य में भिलाई में है।
2. बोकारो स्टील लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में बोकारो-स्टील सिटी में है।
3. दुर्गापुर मिश्र इस्पात लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में दुर्गापुर में है।
4. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में है।
5. राउरकेला इस्पात लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय उड़ीसा राज्य में राउरकेला में है।
6. सेल इण्टरनेशनल लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता में है।
7. सेलम स्टील लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तमिलनाडु राज्य में सेलम में है।

द्वितीय अनुसूची

(धारा 9 देखिए)

1. मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय बिहार राज्य में रांची में है।
2. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पश्चिमी बंगाल राज्य में कलकत्ता में है।
3. नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आन्ध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद में है।

4. मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में नागपुर में है।

5. माण्डवी पैलेट्स लिमिटेड, जो कम्पनी अधिनियम के अधीन बनाई गई और रजिस्ट्रीकृत एक कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय गोवा, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र में मारमुगाओ बंदरगाह में है।